संख्या-119/2022/2324/26-3-2022

प्रेषक

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर 2022

विषय:- विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रमों में आवर्तक भोजन मद में निर्धारित धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1335/ स0क0/अनु0 वृद्धा0/2022-23, दिनांक-16-09-2022 एवं पत्र संख्या-1400/स0क0/अनु0 वृद्धा0/2022-23, दिनांक-03-10-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रमों में आवर्तक मद भोजन में निर्धारित धनराशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यकविचारोंपरांत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों हेतु भोजन मद में प्रति यूनिट/इकाई निर्धारित धनराशि के समतुल्य करते हुये रू-75/- प्रतिदिन प्रतिवृद्ध से बढ़ाकर रू-114/- प्रतिदिन प्रतिवृद्ध किये जाने के संबंध में निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में प्रदान की जा रही भोजन व्यवस्था (मीनू) छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमतीनगर लखनऊ के समतुल्य गुणवत्ता युक्त रखा जायेगा ।

(2) इस सबंध में प्रश्नगत योजना के संचालन विषयक गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों में प्रदान किये जा रहे भोजन एवं अन्य सुविधाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) इस संबंध में आने वाला अतिरिक्त व्यय-भार बजट प्राविधान की सीमा में रहेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4- कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव ।

पृ0सं0-119 /2022/2324(1)/26-3-2022 तददिनांक-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- समस्त जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8- गार्डफाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।